	प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें मौके की वनावरण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। कृपया आन लाइन पार्ट के बिन्दु–13(i) पर KML file संशोधित अपलोड करें व सी0डी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	है। तथा संबन्धित की सी0डी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है।
4	बिन्दु –9 के क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की आख्या संलग्न नहीं की गई है। आख्या प्राप्त कर आन लाइन पार्ट–1 के Additional information detail में अपलोड करते हुये सत्यापित प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करे।	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 668/12–1 दिनांक 07.09.2017 द्वारा महानिरीक्षक (वन्यजीव)वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश मांगे गये हैं। (छाया प्रति संलग्न) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सूचित किया गया है कि मार्ग निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की आख्या REC meeting से पूर्व MOEF को उपलब्ध करा दी जायेगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0बालाचन्दन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

पत्रांक /14–10 दिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना, निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आयू0 देहरादून, (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0बालाचन्दन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर

पत्रांक 1288/14–10 सहारनपुर दिनांक अक्टूबर 09, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

विषयः– शिवालिक वन प्रभाग में छुटमलपुर –गणेशपुर भाग(एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूडकी–छुटमलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर(एन0एच073) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 सहारनपुर में किमी0 28.3000 से 70.000 तक 4 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 700/11सी–सहारनपुर दिनांक 7/8.09.2017

महोदय,

विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 987/14–1 दिनांक 18.09.2017 द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को लिखा गया। प्रयोक्ता एजेन्सी, परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, देहरादून के पत्रांक NHAI/PIU-DDN/33012/Forest-Issues(SHR)/2007/13552.दिनांक 29.09.2017 द्वारा आपत्तियों का निराकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके कम में आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित हैः–

Sl.No	Observations raised by Nodal officer	Compliances
1	आन लाइन पार्ट–1 के बिन्दु C-b(iii) में अपलोडेड अभिलेखों पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी के नाम व सील तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर अपलोड करायें।	आन लाइन पार्ट–1 के बिन्दु C-b(iii) में वांछित हस्ताक्षरित अभिलेख नाम एवं मोहर अंकित करते हुये पुनः अपलोड कर दिये गये हैं।
2	आन लाइन पार्ट–1 के बिन्दु C-b(iv) में अक्षांश देशान्तर अंकित कर अपलोड नहीं किया गया है। अपलोडेड अभिलेखों पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सक्षम प्राधिकारी के नाम व सील तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर कराकर अपलोड करायें।	आन लाइन पार्ट–2 के बिन्दु C-b(iv) में वांछित हस्ताक्षरित अभिलेख नाम व मोहर अंकित करते हुये पुनः अपलोड कर दिये गये हैं।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की KML File में चयनित स्थल पेन्टेड	आन लाइन पार्ट–2 के बिन्दु 13(i) पर संशोधित KML फाइल अपलोड कर दी गई